

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर,
जिला-रायपुर

// आदेश //

अटल नगर, दिनांक 11/06/2019

क्रमांक 769/एफ 2019-04-04903/स्था./चार :: राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा संवर्ग के अधिकारी श्री शांति खाखा, संयुक्त संचालक (वित्त), छ.ग. एड्स नियंत्रण समिति, कालीबाड़ी चौक रायपुर को उनके अभ्यावेदन दिनांक 28.02.2019 को मान्य करते हुए छ.ग. पेंशन नियम 1976 के नियम 42 अंतर्गत दिनांक 15.06.2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान करता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(PECCU 11/6/2019
प्रेमा गुलाब एक्का)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृष्ठां. क्र. 770/एफ 2019-04-04903/स्था./चार,
प्रतिलिपि :-

अटल नगर, दिनांक 11/06/2019

01. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर,
02. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर,
03. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य मंत्री सचिवालय, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर,
04. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
05. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर
06. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छ.ग., अटल नगर, रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
07. संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, अटल नगर, रायपुर
08. कार्यालय परियोजना संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति कालीबाड़ी रायपुर ।
09. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें रायपुर, छ.ग., इन्द्रावती भवन अटल नगर रायपुर ।
10. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर, छत्तीसगढ़
11. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी/कोषालय अधिकारी, रायपुर, छत्तीसगढ़
12. संबंधित अधिकारी
13. आदेश फोल्डर हेतु

—की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

(PECCU 11/6/2019
अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग